तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी द्वारा डाक रसीद पेश की गई। मिसल इंतजार अप्रार्थी के दिनांक 11/6/25 को पेश हो।
11/6/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 13/6/25 को पेश हो। [signature] रीडर
13/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी को नोटिस तामील होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। मिसल वास्ते एक पक्षीय बहस हेतु दिनांक 20/6/25 को पेश हो। [signature] [illegible] कलेक्टर बापिणी
20/6/25	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 20/6/25 को पेश होवे। 20/6/25 रीडर
20/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] [illegible] कलेक्टर बापिणी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बापिणी जिला फलोदी

दिनांक :- 26/6/25

क्रमांक कोर्ट/2023/354

प्रेषित,

तहसीलदार बापिणी ।

विषय—माफिक निर्णय की पालना बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यांयालय के प्रकरण संख्या 86/24 अनवान रामेश्वर बनाम ओमाराम धारा 111,128 निर्णय दिनांक 20/6/25 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। अतः आप यदि किसी उच्चतर न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो, नियमानुसार माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— प्रार्थना पत्र प्रति।

सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी बापिणी

सहायक कलेक्टर बापिणी
जिला फलोदी

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलेक्टर एंवम्

उपखण्ड अधिकारी लोहावट।

प्रार्थना पत्र संख्या ..../2020

तारीख प्रस्तुती :–

प्रार्थीगण :–

1. रामेश्वर पुत्र श्री पुनाराम जाति जाट निवासी ग्राम पड़ासला तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भोमाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति जाट निवासी ग्राम पड़ासला तहसील बापिणी जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार बापिणी।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

मान्यवरजी,

निवेदन प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार हैं :–

1. यह हैं कि तहसील बापिणी के ग्राम पड़ासला के खसरा नम्बर 916 रकबा 67 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय व खसरा नम्बर 916/1225 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी व प्रार्थी के सहखातेदारों के कब्जा काश्तसुदा आई हुई हैं। जिसकी जमाबंदी, नक्शा साथ में पेश हैं।

2. यह हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण व सहखातेदारों का शांति पूर्ण रूप से कब्जा काश्त हैं उक्त भूमि के चारों तरफ पुराने कणे माट कायम हैं। जिसके अन्दर प्रार्थी व सहखातेदारों का कब्जा काबिज हैं। प्रार्थी अपने खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि कि पेमाईश करवाकर चिन्हित स्थान पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। जिसके लिए प्रार्थी ने श्रीमान् उपतहसीलदार (भू.अ.) मतोड़ा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर भूमि की पेमाईश करवाने का आदेश प्राप्त किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 03.01.2020 को श्रीमान् उपतहसीलदार (भू.अ.) मतोड़ा के सीमांकन रजिस्टर क्रमांक/पृष्ठ संख्या 5/क्रमांक संख्या 26 के आदेश की पालना में राजस्व ग्राम पड़ासला के खसरा नम्बर 916 रकबा 67 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 916/1225 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा की भूमि की पेमाईश हेतु पहुंचा पेमाईश शुरू की लेकिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उतरी सीमा के मध्य विवाद होने के कारण मौके पर सही रूप से सीमाज्ञान नहीं हो सका। इसलिए अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पत्थर गढ़ी करवाना चाहता हैं जिसके लिए प्रार्थना पत्र पेश हैं।
3. यह हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि के उतर सीमा पर अप्रार्थी नाजायज जरीके से अतिक्रमण करने की नियत रखता हैं तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि के पेमाईश द्वारा बताये कणा माठ पर प्रार्थीगण को पत्थरगढी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को काफी समझाईश भी की लेकिन अप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि की उतर दिशा की तरफ सीमा की सुरक्षा हेतु पत्थर गढ़ी करवाना चाहते हैं जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश हैं। तीन तरफ से सीमाएं पहले से निर्विवाद पत्थर गढ़ी से सुरक्षित हैं।
4. यह हैं कि अप्रार्थी प्रार्थीगण को हर वर्ष आश्वासन देते रहे कि अगले वर्ष वे अपनी भूमि की पैमाईश करवा कर सीमा निश्चित करवा देंगे परन्तु वह

पैमाईश करवाने में आनाकानी करने लग गया तथा इस वर्ष साफ मना कर दिया कि हम तो अपनी भूमि की पैमाईश नहीं करवायेंगे तथा आपके खातेदारी भूमि की भी माप के अनुसार सीमा पर कणा माठ कायम नहीं करने देंगे तथा आगे से आगे अतिक्रमण कर लेंगे इसलिए अब विवश होकर के प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा हैं।

5. यह हैं कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम पड़ासला तहसील बापिणी की सरहद में आई हुई हैं जिसके बाबत् पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र का श्रवण कर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि तहसील बापिणी के ग्राम पड़ासला के खसरा नम्बर 916 रकबा 67 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय व खसरा नम्बर 916/1225 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय की टीम गठित कर पुनः पैमाईश करवाकर उतरी सीमा के खसरा नम्बर 916/1 के खातेदार अप्रार्थीगण की तरफ पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमावें तथा एस.एच.ओ. मतोड़ा को पुलिस इमदाद दिये जाने का आदेश फरमावें ताकि मौके पर शांति व्यवस्था कायम रह सके।

प्रार्थीगण

जरिये अधिवक्ता